न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) शामली।

Criminal Misc. Cases-119/2026

सनोहर लाल बनाम दिनेश

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस०

थाना–बाबरी, जनपद शामली।

दिनांक–28.07.2026

पत्रावली आज पेश हुई। आवेदक मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस०पर सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

निस्तारण प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०

आवेदक सनोहरलाल की तरफ से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के प्रकाश में विपक्षी दिनेश पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम हिरनवाडा थाना बाबरी, जिला शामली के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने का निवेदन किया गया है।

संक्षेप में आवेदक का कथन है कि प्रार्थी सीधा सादा व्यक्ति है तथा जाति से अनुसूचित (हरिजन) है। प्रार्थी हिरनवाडा में स्थित बिजली घर पर प्राईवेट लाईनमैने है। दिनेश पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम हिरनवाडा थाना बाबरी बहुत ही दबंग व अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा पूर्व में कई बार प्रार्थी को गाली गलौच जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसकी सूचना प्राधिकरियों व अनुसूचित जाति आयोग को दी थी, परन्तु समाज के लोगो द्वारा उपरोक्त दिनेश को चेतावनी देकर समझौता करा दिया गया। दिनांक 30.04.2026 को प्रार्थी रास्ते से जा रहा था, तो उपरोक्त दिनेश, दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ आया और प्रार्थी को रास्ते में रोक लिया और एक लाख रूपये मांगे और प्रार्थी के मना करने पर प्रार्थी को जाति सूचक शब्द चमार गिट्टल आदि का प्रयोग कर पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी। उस समय वहाँ पर विनोद पुत्र बेनी सिंह निवासी ग्राम केडी थाना बाबरी जिला शामली उपस्थित थे। उपरोक्त दिनेश व दो अज्ञात व्यक्यिों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में थाना बाबरी पर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई इसके बाद प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, शामली के यहाँ दिया, जिस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी मजबूर होकर माननीय न्यायालय की शरण में आया है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि थानाध्यक्ष थाना बाबरी को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर उपरोक्त दिनेश व दो अज्ञात व्यक्यिों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

आवेदक ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र, पुलिस अधीक्षक शामली को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति व रजिस्ट्री रसीद मूल, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति अभियुक्त विपक्षी दिनेश का शपथ पत्र बाबत समझौता व पूर्व सुलहनामा के सम्बंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोक को प्रेषित प्रत्युत्तर, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग को प्रेषित पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट, दाखिल किया गया है।

प्रार्थना पत्र के प्रकाश में थाना एवं पुलिस अधीक्षक से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार उक्त प्रकरण में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अभिकथन किया गया है कि विपक्षी दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ आया और प्रार्थी को रास्ते में रोक लिया और एक लाख रूपये मांगे और प्रार्थी के मना करने पर प्रार्थी को जाति सूचक शब्द चमार गिट्टल आदि का प्रयोग कर पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं आवेदक के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को सम्पूर्ण घटना की जानकारी है। उसके द्वारा विपक्षीगण पर जो आरोप लगाया गया है, उसे वह गवाहान प्रस्तुत कर साबित कर सकता है। घटना से सम्बंधित सभी तथ्य एवं परिस्थितियों की जानकारी आवेदक को है, विवेचना के दौरान किसी नये तथ्य एवं साक्ष्य को एकत्र किया जाना शेष नहीं है। मामले में साक्ष्य आवेदक के संज्ञान में है और वह स्वतः न्यायालय के समक्ष मामले से सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। ***रामबाबू गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 2001(43) जे०आई०सी० 231*** के मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की पूर्णपीठ द्वारा यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० के अन्तर्गत मामले में मजिस्ट्रेट चाहे तो अन्वेषण के लिए भेज सकता है या परिवाद के रूप में दर्ज कर स्वयं जाँच कर सकता है या खारिज कर सकता है। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ***सुखवासी बनाम राज्य उ० प्र० 2007 (59) ए० सी० सी० 739 में*** यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० पर न्यायालय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए बाध्य नहीं है। वह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० को स्वीकार कर सकती है अथवा परिवाद के रूप में दर्ज कर स्वयं जाँच कर सकती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय की राय में प्रार्थना पत्र को थाने पर भेजकर 173(4) बी०एन०एस०एस० के प्रावधानों के अन्तर्गत एफ०आई०आर० दर्ज कराने के बजाय प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर निस्तारित किया जाना न्यायसंगत है। तदनुसार आवेदक द्वारा धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। तदनुसार वाद लिपिक, प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज करना सुनिश्चित करें। परिवादी सूची गवाहान बिना अनुचित विलम्ब के दाखिल करें। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा–223 बी०एन०एस०एस० दिनांक 20.08.2026 को पेश हो।

दिनांक–28.07.2026

(सुरेन्द्र कुमार राय)
अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधि०, शामली।
J.O.Code–UP1761